चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 15.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा-गर्दी करने वाले अभियुक्त 1.रामलखन पुत्र रामखिलावन 2.विद्यालोक पुत्र शिवपूजन 3.काशी प्रसाद पुत्र ब्रजलाल 4.अम्बरीश पुत्र सत्यजीत 5.लाल उर्फ रुद्रदेव पुत्र शत्रुध्न सिंह निवासीगण परसौंजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.अरविन्द सोनकर पुत्र स्व0 शंकरलाल सोनकर निवासी सरहटी मुहल्ला कस्बा व थाना कालिंजर जनपद बांदा 2.राकेश सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी बस स्टैण्ड कस्बा व थाना कालिंजर जनपद बांदा को 03 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी:-

03 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना कोतवाली कर्वी
2.आरक्षी सुरेन्द्र सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा जिलाबदर अपराध छोटेलाल यादव पुत्र सुखनन्दन यादव निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा जिलाधिकारी महोदय के जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 79/2024 धारा 10 यूपी0 गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी
2.आरक्षी सचिन यादव
3.आरक्षी गुड्डू यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 अभियुक्तों के कब्जे से 345 लीटर कच्ची व 20 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(i).उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता विजमा देवी पत्नी रामकिशोर निवासी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 120 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री कृष्णदेव मिश्रा थाना राजापुर तथा आवकारी टीम द्वारा अभियुक्त रामबाबू निषाद पुत्र महादेव निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 145 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री मातादीन थाना पहाड़ी एवं उनके हमराही आरक्षी आशीष व महिला आरक्षी रेखा द्वारा अभियुक्त चुनकौना पुत्र लक्षना निवासी परसौंजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब व शारब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60(2) आबकारी अधिनियन के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv),प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय तथा आबकारी टीम द्वारा अभियुक्त राजकुमार उर्फ पट्टू पुत्र रामआसरे उर्फ बच्चा निवासी मवई कलां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ तथा अभियुक्त रुपा पत्नी सूरजभान निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

(v).उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र महेश प्रसाद निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i).निरीक्षक अपराध थाना मानिकपुर श्री प्रभुनाथ यादव तथा उनके हमराही आरक्षी अजीजुद्दीन, आरक्षी जलील अहमद द्वारा मु0न0 285/23 धारा 323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त 1. भईयालाल उर्फ गांधीनगर 2. बाबू उर्फ संतोष पुत्रगण बोडा निवासीगण ग्राम हेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री रविकान्त राय थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी नन्हे यादव द्वारा मु0नं0 126/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त लवलेश मिश्रा पुत्र बराती निवासी कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री हारुन रशीद खां थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी नरेन्द्र सिंह द्वारा मु0नं0 62/2021 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामा पुत्र रामसनेही निवासी धौराई माफी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम महिला थाना की पुलिस टीम टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती वंदना गुप्ता पुत्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता निवासी प्रयागराज रोड शास्त्री नगर कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पति पंकज गुप्ता पुत्र कल्लू गुप्ता निवासी बबेरू रोड नहर पट्टी शिवनारायण स्मृति वाटिका के पास बांदा थाना बांदा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध मारपीट गाली-गलौज के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया। महिला थाना में नियुक्त उ0नि0 श्री संतोष त्रिपाठी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री संतोष कुामर त्रिपाठी महिला थाना
2.महिला आरक्षी मोनिका तोमर
3.महिला आरक्षी शिवानी सिंह

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 137/2020 धारा 279,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त गया प्रसाद पुत्र प्रीतम प्रसाद निवासी बाबूपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 2000 रूपए के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(9). आज दिनांक 15.04.2024 को आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा एवं क्षेत्राधिकार राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल की उपस्थिति में थाना पहाड़ी के संवेदनशील ग्राम पथरामानी में जन-चौपाल का आयोजन कर लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र/निर्भीक निष्पक्ष अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों से उनकी समस्याएं पूछी गई एवं निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा अपने ही भाई की हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

कल दिनाँक 14.04.2024 को थाना सरधुवा अन्तर्गत ग्राम भदेदु में लखन उर्फ छोट्टन पुत्र नत्थु प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी भदेदु थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट ने अपने भाई गुड्डन उर्फ हनुमत उम्र 35 वर्ष को घर के अंदर मार कर मृत्यु कारित कर दी थी। मृतक के बड़े भाई संगललाल मिश्रा की तहरीर पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 62/2024 धारा 302 भादवि0 बनाम लखन उर्फ छोट्टन पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त को लखन उपरोक्त को मौके से गिरफ्तार कर कब्जे से आलाकत्ल कुल्हाड़ी, लकड़ी का बैठने वाला पीढ़ा, लकड़ी का डंडा बरामद किया गया।

बरामदगीः-

आलाकत्ल कुल्हाड़ी, लकड़ी का डंडा, लकड़ी का बैठने वाला पीढ़ा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी

2.आरक्षी राहुल पुरी

3.आरक्षी शक्ति सिंह

(11). आज दिनांक 15.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव -2024 के प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय चरण में लगे पुलिस बल को ब्रीफिंग की गयी। इस दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को बताया गया कि सभी अपनी अपनी बस में आवटिंत जनपद तक जाएगे किसी भी दशा में कोई भी कर्मचारी बस से नहीं उतरेगा बाह्य जनपद में सभी अधिकारी/कर्मचारीगण अनुशासन का पूर्णतः पालन करेगे। सभी के लिए बसो में ही पानी,नास्ता व फर्स्ट एड की व्यवस्था की गयी है। गर्मी के दृष्टिगत सभी कर्मचारी अपना ध्यान रखे एवं समय समय पर पूर्ण मात्रा में पानी पीते रहे ।

इस दौरान के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह,चुनाव सेल प्रभारी श्री प्रदीप यादव, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।